प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्याः **32/2026** (अपील सूचना का अधिकार)</u>
Sharad Pandya Add: Near Ghantaghar, Tripolia road, Ankdar ki Khabar Newspaper, Banswara, Raj.

..............अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः ..18/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329304993189455 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8913336170 दिनांक 22.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/32/26/125–26 दिनांक 22.01.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./32/26/118–19 दिनांक 28.01.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.12.2025 को ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें वर्णितानुसार कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का कन्वर्जन से संबंधित रजिस्टर राजस्व वर्ष 2003 से 2016 रजिस्टर नंबर 19 वर्ग 05 की प्रति चाही गई है। इस क्रम में प्रार्थी द्वारा व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..18-02-26.. को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर